भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दसवां संशोधन) विनियम, 2010

(2010 का संख्यांक 3)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13th जुलाई, 2010

सं. 5–4/2000–प्र0एवंका0 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप–धारा (1) तथा धारा 36 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1.(1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दसवां संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) की अनुसूची I में,–

(क) प्रधान सलाहकार के पद के सम्मुख, "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्ष के अंतर्गत —

(I) प्रविष्टि (ii) में, "छह वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

"(iii) समूह क में इक्कीस वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले समूह क अधिकारी, जिसमें से कम–से–कम तीन वर्ष की नियमित सेवा एसएजी में होगी";

(ख) सलाहकार के पद के सम्मुख, "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्ष के अंतर्गत —

(I) प्रविष्टि (ii) में, "छह वर्ष की नियमित सेवा" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष की नियमित सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः

"(iii) समूह क में सत्रह वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले समूह क अधिकारी, जिसमें से कम–से–कम चार वर्ष की नियमित सेवा प्रवरण ग्रेड में होगी";

(ग) संयुक्त सलाहकार के पद के सम्मुख, ''प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव'' शीर्ष के अंतर्गत —

(I) प्रविष्टि (ii) में, ''पांच वर्ष की नियमित सेवा'' शब्दों के स्थान पर ''चार वर्ष की नियमित सेवा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

''(iii) समूह क में बारह वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले समूह क अधिकारी, जिसमें से कम–से–कम चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होगी'';

(घ) उप सलाहकार के पद के सम्मुख, ''प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव'' शीर्ष के अंतर्गत —

(I) प्रविष्टि (ii) में, ''उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा अथवा'' शब्दों के स्थान पर ''उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) प्रविष्टि (iii) का लोप किया जाएगा;

(ड.) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के सम्मुख, ''प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव'' शीर्ष के अंतर्गत, प्रविष्टि (ii) में, ''अनुभाग अधिकारी अथवा समकक्ष के ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा अथवा कनिष्ठ समय मान/अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर 7 वर्ष की संयुक्त सेवा'' शब्दों, अंकों और संख्याओं के स्थान पर ''अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में अथवा किसी अन्य समकक्ष अथवा उच्चतर ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा'' शब्द, अंक और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी।

एम. एस. सीतारामन

(एम.एस. सीतारामन)
सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

टिप्पणी 1 :— प्रधान विनियम संख्या 5–4/2000 (प्र0एवंवि) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा इनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए:—

पहला	1–6/2002–प्र0एवंवि0, दिनांक 22 जनवरी, 2004
दूसरा	5–4/2000–प्र0एवंवि0 (खंड–I), दिनांक 11 मई, 2004
तीसरा	5–4/2000–प्र0एवंवि0 (खंड–II), दिनांक 17 जून, 2004
चौथा	5–4/2000–प्र0एवंका0 (खंड–II), दिनांक 10 मई, 2005
पांचवां	5–4/2000–प्र0एवंका0 (खंड–II), दिनांक 26 मई, 2006
छठा	5–4/2000–प्र0एवंका0 (खंड–II), दिनांक 09 अक्तूबर, 2006
सातवां	5–4/2000–प्र0एवंका0, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008
आठवां	5–2/2005–प्र0एवंका0, दिनांक 20 मार्च, 2009
नौवां	5–4/2000–प्र0एवंका0, दिनांक 23 अप्रैल, 2010